संख्या-151/2016/1353/26-3-2016-10(05)/2013 टी.सी.

प्रेषक,

सुनील कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 शासन।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 01 अगस्त, 2016

विषयः- समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित 08 नवनिर्मित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों (इण्टरमीडिएट स्तर तक) के संचालन हेतु पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र संख्या-1701-03/स0क0/ विकास/08ए.टी.एस.-341/पद सृजन/2015-16, दिनांक-29.01.2016, पत्र संख्या-1947/ स0क0/विकास 08 ए.टी.एस.-341/पद सृजन/2015-16, दिनांक-21.03.2016, पत्र संख्या-119/स0क0/विकास08 ए.टी.एस.-341/पद सृजन/2015-16, दिनांक-27.04.2016 एवं पत्र संख्या-152/स0क0/विकास 08 ए.टी.एस.-341/पद सृजन/2015-16, दिनांक-02.05.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से 8 नवनिर्मित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय रया (भदोही), लक्ष्मीपुर (कुशीनगर), निडौरी (गाजियाबाद), सैदपुर (गाजीपुर), हाजीपुर (सीतापुर), मऊ घनश्यामपुर (फैजाबाद), दरियापुर (हमीरपुर) एवं मेहरौना (देवरिया) के संचालन हेतु 272 पद नियमित एवं 144 पद संविदा आधार पर कुल 416 पदों के सृजन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 8 नवनिर्मित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, रया-भदोही, लक्ष्मीपुर-कुशीनगर, निडौरी-गाजियाबाद, सैदपुर-गाजीपुर, हाजीपुर-सीतापुर, मऊ घनश्यामपुर-फैजाबाद, दरियापुर-हमीरपुर एवं मेहरौना-देवरिया के संचालन हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित 200 पद नियमित तथा 208 पद सेवाप्रदाता एजेन्सी (आउटसोर्सिंग) कुल 408 अस्थायी पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में दिनांक-28.02.2017 तक यदि यह पद इसके पूर्व ही बिना सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, के सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या प्रति विद्यालय	08 विद्यालयों में पदो की संख्या
1	2	3	4	5
1	प्रधानाचार्य	वेतन बैण्ड-3 में 15600-39100+पे ग्रेड 7600	01	08
2	प्रवक्ता (कक्षा 11 से 12) तक हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कम्प्यूटर, वाणिज्य एवं गृह विज्ञान	वेतन बैण्ड-2 में 9300-34800+पे ग्रेड 4800	10	80

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3	सहायक अध्यापक एल0टी0 ग्रेड (कक्षा-6 से 10) हिन्दी, अंग्रेजी-2, गणित-2, विज्ञान-2, सामाजिक विज्ञान, कला, संगीत, व्यायाम प्रशिक्षक, कम्प्यूटर प्रशिक्षक, इतिहास, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र एवं अर्थशास्त्र	वेतन बैण्ड-2 में 9300-34800+पे ग्रेड 4600	10	80
4	लाईब्रेरियन	वेतन बैण्ड-1 में 5200-20200+पे ग्रेड 2800	01	08
5	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड-1 में 5200-20200+पे ग्रेड 2000	01	08
6	स्टोर कीपर	वेतन बैण्ड-1 में 5200-20200+पे ग्रेड 2000	01	08
7	छात्रावास सहायक	वेतन बैण्ड-1 में 5200-20200+पे ग्रेड 2000	01	08
8	फर्मासिस्ट/स्टाफ नर्स	आउटसोर्सिंग	01	08
9	कहार/मेस हेल्पर	आउटसोर्सिंग	02	16
10	चैकीदार कम स्वीपर	आउटसोर्सिंग	02	16
11	पत्रवाहक/माली	आउटसोर्सिंग	03	24
12	कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्सिंग	01	08
13	चिकित्सक	आउटसोर्सिंग	01	08
14	इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर	आउटसोर्सिंग	01	08
15	भोजन सफाई/सुरक्षा के कार्य हेतु चतुर्थ श्रेणी	आउटसोर्सिंग	15	120

3- 08 नवनिर्मित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन हेतु वरिष्ठ सहायक के पद के सृजन का औचित्य नहीं पाया गया।

4- उपरोक्तानुसार नियमित सृजित पदों के पदधारकों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य मंहगाई भत्ते व अन्य भत्ते भी देय होंगे।

5- आउटसोर्सिंग पर कर्मी लघु उद्योग निगम के माध्यम से रखे जा सकते हैं। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो न्यूनतम बिड के आधार पर आउटसोर्सिंग की संस्था का निर्धारण कर सकते हैं, जिसमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्मिक को दिया जाने वाला भुगतान श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-12-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-आयोजनागत के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा''।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-950/दस-2016, दिनांक-27 जुलाई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुनील कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव

पृ0सं0-151/2016/1353(1)/26-3-2016 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
5- समाज कल्याण अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
6- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।